

दिनांक 23.03.2020

## सूचना

कोरोना वाइरस के संक्रमण को रोकने के दृष्टिगत उ.प्र. शासन द्वारा घोषित लॉक डाउन के कारण आयोग में कोई न्यायिक कार्य नहीं होगा। लॉक डाउन की अवधि समाप्त हो जाने के उपरान्त उस अवधि में सूचीबद्ध मामलों की आगामी तिथि नियत की जायेगी।

A. W. Khan  
23/3/2020

(न्यायमूर्ति अख्तर हुसैन खान)

अध्यक्ष

1. वैयक्तिक सहायक, मा. न्यायमूर्ति अध्यक्ष महोदय।
2. मा. सदस्यगण।
3. प्रशासनिक अधिकारी (अभिलेखागार)।
4. वरिष्ठ सहायक, समस्त न्याय कक्ष।
5. नोटिस बोर्ड।